न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

पीठासीन अधिकारी, श्री पंकज कुमार–II, उ० प्र० न्यायिक सेवा (UP3652)

निर्णय तिथि–21.08.2026

UPHP120001672020

Warrant or Summons Criminal Case/110/2020

वाद सं०–57/2020

उ०प्र० राज्य बनाम राहुल आदि

मु०अ०सं०–189/2019

आरोप–498ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट

थाना– बहादुरगढ़, जनपद हापुड़।

अभियोक्ता	उत्तर प्रदेश सरकार (वादिनी मुकदमा रिंकी)
प्रतिनिधि	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. राहुल पुत्र स्व० प्रेमपाल, 2. अंकुर पुत्र प्रेमपाल, 3. निर्मला देवी पत्नी प्रेमपाल निवासीगण हरोड़ा मोड़ गली नं० 2 के सामने गली धनसिंह कस्बा व थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश।
प्रतिनिधि	अधिवक्ता रामवतार सिंह पुण्डीर

वाद का विवरण

घटना की तिथि	12.03.2018 से 13.08.2019 तक
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05.10.2019
आरोप पत्र की तिथि	12.12.2019
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	12.04.2023
साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की तिथि	29.05.2025 व 02.07.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	31.07.2026
निर्णय की तिथि	21.08.2026 (लंच बाद)
सजा आदेश की तिथि	अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त गण की क्र० सं०	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार किये जाने की तिथि	बेल पर रिहाई किये जाने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषी या दोषमुक्त	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 के दृष्टिगत परीक्षण के दौरान जेल में बितायी गयीअवधि
1.	राहुल		06.12.2019	498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट	दोषमुक्त	दोषमुक्त किया गया	–
2.	अंकुर		05.11.2019	498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट	दोषमुक्त	दोषमुक्त किया गया	–
3.	निर्मला देवी		05.11.2019	498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट	दोषमुक्त	दोषमुक्त किया गया	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
पी०डब्लू० 1	रिंकी	वादिनी मुकदमा
पी०डब्लू० 2	रजनी देवी	साक्षी

ख. बचाव पक्ष के गवाहः

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
डी०डब्लू० 1	बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।	–

ग. न्यायालय के गवाहः

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
सी०डब्लू० 1	न्यायालय की तरफ से कोई साक्षी तलब नहीं किया गया।	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची

क. अभियोजन

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर

B. बचाव पक्षः

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	बचाव पक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।	–

C. न्यायालय के प्रदर्शः

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

D. भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं०	भौतिक वस्तु सं०	विवरण
1.	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद का विचारण वादिनी मुकदमा रिंकी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बहादुरगढ़ के द्वारा पंजीकृत मु०अ०सं०–189/2019, अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 504, 506 भा०दं० सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट में अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र स्व० प्रेमपाल, 2. अंकुर पुत्र प्रेमपाल, 3. निर्मला देवी पत्नी प्रेमपाल के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र संख्या–230/2019 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा की शादी दिनांक 12.03.2018 को अभियुक्त राहुल पुत्र स्व० प्रेमपाल के साथ हुई थी। वादिनी मुकदमा की माता व रिश्तेदारो ने शादी में करीब 5 लाख रूपये खर्च किये थे। वादिनी मुकदमा का पति दिल्ली में आर०बी०एल० बैंक लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में नौकरी करता हैं, जिसका कार्य क्रेडिट कार्ड बनाने का है। वादिनी मुकदमा भी अपने पति व दो पुत्रियों जुडवा नौ महीने के साथ रहती थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट तथा दहेज में

1,00,000/– रूपये व एक मोटर साईकिल की मांग करता था तथा दिनांक 12.08.2019 की रात्रि 12.00 बजे उसके पति व उसके साथी विमल व महिला साथी ने वादिनी मुकदमा के साथ लात–घूसों से मारपीट की तथा उसका गला भी हाथो से घोटा तथा वादिनी मुकदमा के साथ तीनो ने मारपीट की तथा तन के कपड़ो में रात्रि को घर से बाहर निकाल दिया तथा वादिनी मुकदमा के पति घर पर अपने महिला मित्र के साथ कमरे में शराब पीता है तथा आपत्ति जनक स्थिति में रहता है। उसके पश्चात वादिनी मुकदमा का पति वादिनी मुकदमा को गाड़ी से हरोड़ा, सिम्भावली, जिला हापुड़ ले आया तथा दोनो पुत्रियो को वहां पर भी उसके साथ उसकी सास व देवर अंकुर व नन्द पारूल ने दिनांक 13.08.2019 की सुबह मारपीट की और कहा कि साली जान से मार देगे। वरना हमारी दहेज की मांग पूरी करा तथा कहा भाग जा यहां से और साथ में तेरी दोनो लड़कियो को भी मार देगें। इसके उपरान्त दिनांक 13.08.2019 को सुबह 8.00 बजे पीडिता का पति व सास व देवर अंकुर व नन्द पारूल पीडिता के घर डेहरा राम छोड़कर व मारपीट करके व दहेज की मांग पूरी करने हेतु जान से मारने की धमकी दी गयी।

3. प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना प्रारंभ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के बयान आदि लिये गये। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा–नजरी आदि तैयार कर बाद विवेचना अभियुक्तगण राहुलव शराफत के विरूद्ध धारा–498ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2020 को अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण ने अपनी–अपनी जमानत करायी। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं तथा अभियुक्तगण राहुल, अंकुर व निर्मला देवी के विरूद्ध धारा–498ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट का आरोप दिनांक 12.04.2023 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 रिंकी (वादी मुकदमा), पी०डब्लू०–2 रजनी देवी को परीक्षित कराया गया है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य गवाहान को डिस्चार्ज/उन्मोचित किये जाने हेतु अभियोजन अधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.2026 को अन्य साक्ष्य देने से इंकार किये आदेश पत्र पर पृष्ठांकित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 में दिनांक 14.07.2026 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को झूठा बताया व मुकदमा झूठा होने का कथन किया तथा साक्षियों के बयानों के बारे में कुछ नहीं कहा तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

7. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

8. अभियुक्तगण पर आरोप है कि वादिनी मुकदमा रिंकी की शादी दिनांक 12.03.2018 को अभियुक्त राहुल के साथ हुई थी। शादी के बाद से अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गयी व वादिनी मुकदमा को अपमानित करने के आशय से गंदी-गंदी गालियां देकर प्रकोपित किया, अभियुक्तगण के द्वारा शादी में दहेज लिया गया तथा शादी के उपरांत भी वादिनी रिंकी को दहेज लाने के लिये प्रताड़ित किया व अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व एक मोटरसाईकिल की अवैध मांग भी की गयी।

9. अब देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहें हैं अथवा नहीं ?

10. अभियोजन के प्रथम साक्षी पी०डब्लू०–1 रिंकी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि

मेरी शादी राहुल के साथ दिनांक 12.03.2018 को मेरे परिवारजन द्वारा अपनी सामर्थ्य से दान–दहेज देकर की गयी थी, परन्तु मेरे ससुरालीजन दान–दहेज से खुश नहीं थे। पति राहुल, निर्मला देवी व अंकुर ने एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल के लिये मारपीट व गाली–गलौंच की। मेरे परिवारजनों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, परन्तु ये अपनी बात पर अडे रहे। इस घटना की टाइपशुदा तहरीर थाना हाजा को दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करती हूं, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

11. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि मुल्जिमान राहुल, निर्मला देवे व अंकुर ने अतिरिक्त दान–दहेज को लेकर मेरे साथ मारपीट व गाली–गलौंच नहीं की थी। यह कहना सही है कि मैं व मेरे पति आपसी पारस्परिक सहमति से अलग हो गये हैं। मैंने दूसरी शादी मदन से कर ली है, जिसकी सूचना मैं अपने पहले पति राहुल को दे दी है, जिन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है। यह कहना सही है कि अब हमारे बीच कोई विवाद शेष नहीं है तथा हमारा फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि झूठी गवाही दे रही हूं।

12. अभियोजन के द्वितीय साक्षी पी० डब्लू०–2 रजनी देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरी बेटी रिंकी की शादी दिनांक 12.03.2018 को राहुल पुत्र स्व० प्रेमपाल के साथ हुई थी। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्त्रीधन अपनी बेटी को दिया था, किन्तु राहुल तथा उसकी मां निर्मला देवी को मुझसे या मेरी बेटी से कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही मेरी बेटी के साथ गाली–गलौंच व मारपीट की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। पता नहीं कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि हम पक्षकारों का आपसी फैसला हो गया है, परन्तु यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने की वजह से मैं सही बात नहीं बता रही हूं।

14. साक्षी वादिनी मुकदमाा पी०डब्लू० 1 रिंकी द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया किया गया है, किन्तु जिरह दौरान अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 रजनी देवी द्वारा मुख्य परीक्षा व जिरह दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। वर्तमान वाद में अभियोजन के प्रमुख साक्षी पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमाा ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, किन्तु जिरह के दौरान अपने पूर्व कथनों से मुकर गयी तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार उनकी गवाही गंभीर विरोधाभासों एवं असंगतियों से युक्त हो गई, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने अभियोजन के आवश्यक अवयवों को सिद्ध नहीं किया। यह भी विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि दोषसिद्धि केवल अनुमान, संदेह अथवा अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर नहीं की जा सकती। अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करना होता है। जब अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी/मुख्य साक्षी ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते, तब न्यायालय को अत्यधिक सावधानी के साथ शेष साक्ष्यों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत नहीं होता कि कोई ऐसा स्वतंत्र, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है जो अभियोजन के कथन की पुष्टि कर सके। मात्र विवेचक अथवा औपचारिक साक्षियों की गवाही, बिना किसी ठोस प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के, अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अतः समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

15. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण राहुल, अंकुर व निर्मला देवी के विरूद्ध धारा–498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण राहुल, अंकुर व निर्मला देवी

धारा–498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण 1. राहुल, 2. अंकुर, 3. निर्मला देवी को वाद संख्या–57/2020, मु०अ०सं०–189/2019, सरकार बनाम राहुल आदि, अंतर्गत धारा–498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दौरान वाद विचारण अभियुक्तगण जमानत पर थे। अभियुक्तगण के जमानतनामें तथा उनके व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे एवं अभियुक्तगण प्रत्येक इस आशय का अंकन 25,000/–रूपये के एक–एक प्रतिभू व एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेगा। यह बन्धपत्र मात्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–21.08.2026

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ.कोड UP3652)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढमुक्तेश्वर, हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–21.08.2026

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ.कोड UP3652)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढमुक्तेश्वर, हापुड़।

Digitally signed by Pankaj Kumar
Date: 2026.08.21 17:01:08 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court